न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी सं. :– 63/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/607

अपीलार्थी :–

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, उजलिया, तहसील ओसिंया, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. ग्राम पंचायत विनायकपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति ओसिंया जिला जोधपुर
2. रेवतसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपूतों का बास, उजलिया तहसील ओसिंया जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत भवाद, पंचायत समिति ओसिंया, (वर्तमान ग्राम उजलिया, ग्राम पंचायत विनायकपुरा, पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर) द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 16(88–89) दिनांक 26.06.1989 के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय पैरोकार अनुपस्थित ।

– : : निर्णय : : – दिनांक : 06/04/2026

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी को ग्राम पंचायत उजलिया द्वारा पट्टा नम्बर 33 दिनांक 26.06.1989 को नियम 266 राजस्थान पंचायत एंव न्याय पंचायत सा. नियम 1961 के तहत जारी किया गया था। उक्त पट्टा सरपंच द्वारा स्वयं अपने लाभ के लिए ग्राम पंचायत में विधी विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एंव राजस्थान

पंचायत सा. नियम 1961 के नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी को जारी पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। आलोच्य पटटा जो जारी किया गया हैं उसमें पडौस भी मौके के अनुसार नियमानुसार बराबर अंकित नही किये गये हैं तथा प्रार्थी के हिस्से में स्थित भूमि पर भी पटटा जारी कर दिया गया हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हैं तथा अन्य व्यक्ति के अधिकार के जायदाद पर जारी किये गये पटटा स्वतः ही शुन्य हैं। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका मुआयना व नाप–चौक किये ही अपनें हितबद्ध व्यक्ति के हक में पटटा जारी कर दिया जाना बताया है । अप्रार्थी संख्या 02 का जारी पटटे पर अंकित पडौस व नाप के अनुसार कब्जा भी नही हैं जिस पर शान्तिपूर्वक प्रार्थी का वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध अप्रार्थी के अधिकार/कब्जा से ज्यादा क्षेत्रफल का पटटा जारी कर दिया गया हैं, जबकि पटटे के अनुसार उल्लेखित साईज पर अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर कब्जा नही हैं। ग्राम पंचायत उजलिया द्वारा उक्त जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विपरित जाकर जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। उक्त पटटा ग्राम पंचायत उजलिया द्वारा नियम 266 राजस्थान पंचायत एंव न्याय पंचायत सा. नियम 1961 के अनुसरण में जारी किया जाना बताया, जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख से पूर्व की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना, राजस्थान पंचायत एंव न्याय पंचायत सा. नियम 1961 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना बिना पटटा जारी किया गया व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया हैं। ग्राम पंचायत उजलिया द्वारा उक्त पटटा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा बुलाई गई और न ही ग्राम वासियों की आपत्ती ली गई, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सरपंच द्वारा अपने चहेते लोगों को आर्थिक फायदा देने की नियत से बिना ग्राम पंचायत की आम सभा बुलाये और बिना ग्राम वासियों को सूचना दिये ही उक्त पटटा अपने परिचित व्यक्ति के हक में जारी किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत उजलिया, पंचायत समिति ओसिया जिला जोधपुर का अभिलेख तलब फरमाया जाकर बाद जांच प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य भूमि पटटा संख्या 33 दिनांक 26.06.1989 मिसल सख्या 16 (88–89) जो ग्राम पंचायत उजलिया, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जरीये रजिस्टर्ड डाक के भिजवाये गये एंव न्यायालय के पत्र क्रमांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 19791822 दिनांक 07.01.2026 द्वारा ग्राम पंचायत विनायकपूरा पंचायत समिति ओसिंया से प्रकरण से संबधित मूल अभिलेख तलब किया गया।

प्रस्तुत निगरानी के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिन्हे विधि एंव कानून की भली–भांति जानकारी नहीं होने से समय पर जरीये अधिवक्ता आपत्ति प्रस्तुत नही कर पाये, प्रार्थी को उक्त पट्टे के बारे में जानकारी नहीं थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को दिनांक 15.01.2025 को ऐलालिया धमकी देते हुए कहा कि उक्त जमीन पर मेरे नाम से पट्टा जारी है जिका मैं मालिक हूं तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया एंव सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कि जिसमें प्रार्थी की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के हक में विधी विरूद्ध पट्टा जारी होने की जानकारी हुई, जिससे प्रार्थी द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

होकर उक्त निगरानी न्यायालय में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त देरी की माकूल व न्यायोचित वजह रही है इस कारण न्यायहित में देरी को माफ करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति के संबध में प्रार्थना पत्र बाबत "डिस्पेन्स विथ प्रमाणित प्रतिलिपि" हेतु प्रस्तुत किया, जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा संबधित ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या 33 की प्रमाणित प्रति हेतु निवेदन किया गया परन्तु निगरानीधीन पट्टा फर्जी तरीके के कूटरचित होने एंव ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नही होना बताया। जिस कारण निगरानीधीन पट्टे की की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि की छुट देते हुए पट्टे की उपलब्ध फोटोप्रति के आधार पर निगरानी के गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण की। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सरपंच द्वारा अपने चहेते लोगों को आर्थिक फायदा देने की नियत से बिना ग्राम पंचायत की आम सभा बुलाये और बिना ग्राम वासियों को सूचना दिये उक्त पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पटटे पर अंकित पडौस व नाप के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा भी नही हैं अपितु उक्त पर शान्तिपूर्वक प्रार्थी का वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका मुआयना व नाप–चौप किये ही अपने हितबद्ध व्यक्ति के हक में विधि विरूद्ध अधिकार/कब्जा से ज्यादा क्षेत्रफल का पटटा जारी कर दिया गया हैं, जबकि पटटे के अनुसार उल्लेखित साईज पर अप्रार्थी संख्या 02 मौके पर काबिज नही हैं एंव दिनांक 15.01.2025 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दिये जाने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुई एंव दिनांक 28.01.2025 को यह निगरानी प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत कर दिया गया। विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के अन्त में ग्राम पंचायत उजलिया द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा नम्बर 33 दिनांक 26-06-1989 को निरस्त एंव निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रस्तुत निगरानी, मूल रिकॉर्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। हम निगरानी प्रार्थना पत्र का गुणावगुण निस्तारण से पूर्व धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी के ग्रामीण परिवेश के होने तथा विधि व कानून की पूर्ण जानकारी नहीं होने तथा अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.01.2025 को प्रार्थी की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी होना बताते हुए स्वंय को उक्त भूमि का मालिक बताने पर प्रार्थी को सम्पूर्ण जानकारी हुई, जिससे निगरानी प्रस्तुत करने में देरी हुई है, तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा संबधित ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की जानकारी हेतु सम्पर्क किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन (Condone) किया जाता है, साथ ही ग्राम पंचायत विनायकपुरा से निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रतिलिपि के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विचार करते हुए संबधित ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रकरण में संबधित ग्राम विकास अधिकारी से विवादास्पद पट्टा से संबधित आस–पडौस का नाप–चौप सहित मौकास्थल की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पत्र दिनांक 18.03.2026 द्वारा मंगवाई गई। ग्राम विकास अधिकारी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

ग्रा.पंचायत विनायकपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिस अनुसार भी उक्त पट्टा से संबधित भुमि प्रार्थी के हक में पायी गयी एंव दिनांक 26.06.1989 को जारी पट्टा संख्या 33 में दर्शाये पडौस एंव नाप वर्तमान मौकास्थिति से विपरित पाये गये, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संबधित ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के कब्जा ना होने की स्थिति में भी बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किए, बिना नाप–चौप एंव मौकास्थल की जांच किए बगैर बाले बाले ही विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 33 जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त नियम विरूद्ध जारी पट्टा निरस्त किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर उक्त पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.06.1989 को निरस्त किया जाता है एंव इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए, मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रार्थी एंव अप्रार्थी के वास्तविक काबिज/स्वामित्व भुमि नाप दर्शाते हुए नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही करें। मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाते हुए आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर